

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जोधपुर ग्रामीण)

प्रेमसिंह पुत्र हुकमसिंह

बनाम

अचलसिंह पुत्र सोहनसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा - 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955

(मुकदमा नम्बर 115/2024)

(सन् 2024)

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
08.07.2024	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र द्विवेदी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलग्न राजस्व रेकॉर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण भूमि पर जबरदस्ती कब्जा एवं निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिससे रोका नहीं गया तो प्रार्थीगणों को अपूर्ण क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 05.08.2024 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा चामू पटवार हल्का चामू तहसील चामू जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1155 की भूमि पर उभयपक्ष कब्जा एवं निर्माण कार्य नहीं करें। उक्त खसरे में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरुद्ध नहीं करें। आगामी पेशी तक उभयपक्ष मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश सरकारी योजनाओं एवं राजकीय विभागों पर लागू नहीं होगा एवं उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें।</p> <p>पत्रावली दिनांक 05.08.2024 को पेश हों।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर



5/8/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/पुनर्वास कार्य/राजकीय धीरे पर है। पत्रावली इलत्या होकर दिनांक 3/9/24 को पेश हो।

[Signature]

3/9/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/पुनर्वास कार्य/राजकीय धीरे पर है। पत्रावली इलत्या होकर दिनांक 23/9/24 को पेश हो।

[Signature]

23/10/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/पुनर्वास कार्य/राजकीय धीरे पर है। पत्रावली इलत्या होकर दिनांक 26/11/24 को पेश हो।

[Signature]

26/11/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/पुनर्वास कार्य/राजकीय धीरे पर है। पत्रावली इलत्या होकर दिनांक 11/12 को पेश हो।
20 अप्रैल 2024

[Signature]

6/1/25

राजकीय अवकाश के कारण पत्रावली दिनांक 7/1/25 को पेश है।

7/1/25

अधिकांश पत्रावली अगुवा व्यापारिक पत्रावली में हीन आवाज लगी है जो उप. नही। अतः पत्रावली अगुवा ए. ए. अगुवा के माध्यम से जारी है। व्यापारिक ए. ए. का अगुवा अगुवा दिनांक 8/7/24 को जारी किया जा रहा है। 1155 को अगुवा किया गया है। पत्रावली 1202 को अगुवा होकर पत्रावली पत्रावली है।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी,
दालेश्वर